समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
संबंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 2442801, 2442786, 2442722
फैक्स : 2442787

# जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2011/1962 दिनांक 28 दिसम्बर, 2011

**स्मरण-पत्र**

**प्रति,**

1. प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त महाविद्यालय

2. विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालायें
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) समूह 'ख' के अंतर्गत सभा हेतु शिक्षकों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन 2011/1767 दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि आपसे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) समूह 'ख' के अंतर्गत सभा की सदस्यता हेतु भिन्न-भिन्न संवर्गो में शिक्षकों के निर्वाचन के संबंध में निवेदन किया गया था कि आप अपने महाविद्यालय/अध्ययनशालायें में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षकों की सूची (संवर्ग सहित) शीघ्र ही विश्वविद्यालय की ओर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि, सभा हेतु शिक्षकों के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु प्रावधिक मतदाता सूची जारी की जा सके।

साथ ही ऐसे शिक्षक जिनका अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा किया जा चुका है उनके नाम भी सूची में सम्मिलित करने हेतु विश्वविद्यालय की ओर भेजने का कष्ट करें। यदि आपके द्वारा किसी ऐसे शिक्षक का नाम विश्वविद्यालय की ओर भेजा जाता है। जिसका कि अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा नहीं किया गया है। उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि वांछित जानकारी शीघ्र ही भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव